Phone : 0141-2791928
0141-2795529
Fax : 0141-2795550

Website : www.ruhsraj.org
Email : ruhsacademic@yahoo.in

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur-302033 (Raj.)

No.F.8 ( ) Acad./RUHS/2016-17/ 14138-54 Date 06/11-/2017

1. P.S. to Hon'ble Vice-Chancellor, RUHS, Jaipur
2. Sh. Shrichand Karplani, Hon'ble Member of Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur
3. Smt. Alka Singh Gurjar, Hon'ble Member of Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur
4. Add. Chief Secretary to the Government, Finance Department, Rajasthan, Jaipur.
5. Secretary, Medical Education Department, Rajasthan, Jaipur
6. Director, Medical Education, Government of Rajasthan Jaipur.
7. Dr. A.K. Bhardwaj, Dean Medicine, RUHS, Jaipur and Prof. Jhalwar Medical College, Jhalawar.
8. Dr. Arun Gupta, Dean (Faculty of Dentistry), Professor, RUHS College of Dental Sciences, Jaipur
9. Dr. D.K. Kocher, Professor, Dept. of Medicine, S.P. Medical College, Bikaner.
10. Dr. Ramesh Agarwal, Consultant Orthopedicas Surgan and Director, Balaji Hospital, Dher ke Balaji, Jaipur.
11. Dr. R.P. Agarwal, Principal, S.P. Medical College, Bikaner
12. Dr. B.R. Adyantaaya, Principal, Rajasthan Dental College, Jaipur.
13. Dr. V.M. Katoch, Former Director General-ICMR and Secretary, Govt. of India, New Delhi.
14. Dr. Rajeev Gupta, Eternal Hospital, JLN Marg, Jaipur.
15. Dr. Sudhanshu Kackar, Principal, RUHS College of Medical Sciencs, Jaipur.
16. Dr. Ratnesh kumar Jaiswal, Sr. Demonstrator, RUHS College of Dental Sciences, Jaipur.
17. Dr. Monoj Kumar Agarwal, Asst. Prof. RUHS College of Dental Sciences, Jaipur.

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed the minutes of **116th** meeting of **Board of Management which was held on dated 22nd September, 2017.**

Encl:- As Above

Registrar

Phone : 0141-2791928
0141-2795529
Fax : 0141-2795550

Website : www.ruhsraj.org
Email : ruhsacademic@gmail.com

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur-302033 (Raj.)

116th MEETING OF BOARD OF MANAGEMENT
Held on 22.09.2017 at 11:00 AM

MINUTES

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के **प्रबन्ध मण्डल की 116वीं बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को प्रातः 11:00 बजे** विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में डॉ. राजाबाबू पंवार, माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक सूचना **परिशिष्ठ–1** एवं बैठक में उपस्थित होने वाले वाले सदस्यों की सूची **परिशिष्ठ–2** पर संलग्न है।

प्रस्तावों पर चर्चा करने के पूर्व डॉ. राजाबाबू पंवार, माननीय कुलपति व अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य–सचिव ने बिन्दुवार प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किये।

विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त बैठक में प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

बिन्दु सं. 1 **प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 19.04.2017 के कार्यवाही विवरण के अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदन।**

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 19.04.2017 के कार्यवाही विवरण के अनुपालना प्रतिवेदन का अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **सदस्य सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को प्रबन्ध मण्डल की पूर्व बैठक दिनांक 19.04.2017 के कार्यवाही विवरण की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट से बिन्दुवार अवगत कराया। उक्त पालना रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा कुछ बिन्दुओं पर सुझाव प्रस्तुत किये गये एवं जिन पर सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–**

- **बिन्दु सं. –11** के संबंध में राज.स्वा.वि.वि. अधिनियम, 2005 की धारा 18(1)(क) के अनुसार डॉ. डी. के. गुप्ता, प्रतिकुलपति, राज.स्वा.वि.वि. को राज.स्वा.वि.वि. का "सम्पदा अधिकारी" नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
- **बिन्दु सं.–12** के संबंध में राज.स्वा.वि.वि. अधिनियम, 2005 की धारा 18(1)(ख) के अनुसार डॉ. अरूण चौगुले, व. आचार्य, रेडियोलॉजीकल फिजिक्स विभाग, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर को राज. स्वा.वि.वि. में "छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष" नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
- **बिन्दु सं.–13** इस बिन्दु के सम्बन्ध में गत प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 19.04.2017 में निर्णय हुआ था कि बैठक में उठाये गये बिन्दुओं पर महाधिवक्ता/अति0 महाअधिवक्ता की राय प्राप्त की जाए। उक्त बैठक का बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 07.06.2017 को जारी हुआ। इस संबंध में यह बताया गया कि प्रकरण में प्रति–कुलपति महोदय ने दिनांक 19.05.2017 को महाधिवक्ता को राय हेतु पत्र लिखा, जिस पर महाधिवक्ता की राय दिनांक 26.05.2017, जो कि विश्वविद्यालय में दिनांक 12.07.2017 को प्राप्त हुई। प्रबन्ध मण्डल की मीटिंग में प्रति कुलपति महोदय द्वारा महाधिवक्ता से प्राप्त राय को पढकर सुनाया गया। प्रबन्ध मण्डल के अधिकांश सदस्यों की राय थी कि महाधिवक्ता से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार प्रकरण में कार्यवाही की जावे। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि सदस्य (उप सचिव, वित्त व्यय –प्रथम, विभाग) द्वारा इस संबंध में कहा कि इस प्रकरण का अलग से विस्तृत एजेण्डा प्रस्तुत होना चाहिए था, जिस पर माननीय कुलपति महोदय ने बताया कि इसे टेबल एजेण्डा के रूप में भी माना जा सकता है। शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आवश्यक पत्राचार बताने के निर्देश दिये। इस संबंध में बताया गया कि उपरोक्त के अलावा प्रकरण में कुलसचिव, राज.स्वा.वि.वि. द्वारा भी विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 5155 दिनांक 20.06.2017 के द्वारा महाधिवक्ता, राजस्थान को राय हेतु लिखा गया, जिसका कि दिनांक 14.07.2017 को स्मरण–पत्र भी जारी किया गया था, परन्तु इस पर महाधिवक्ता का जवाब प्राप्त नहीं हुआ। प्रकरण में विचार विमर्श किया गया एवं यह निर्णय एवं स्पष्ट किया गया कि परिणाम तैयार करना प्रबन्ध मण्डल का कार्य नहीं है एवं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 19.04.2017 के निर्णयानुसार महाधिवक्ता, राजस्थान की राय के अनुसार कार्यवाही की जावे।

प्रबन्ध मण्डल की पूर्व बैठक दिनांक 19.04.2017 के अन्य निर्णयों की अनुपालना के संबंध में भी सदस्य सचिव द्वारा सदन को संक्षिप्त रूप से अवगत कराया गया।

अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि सदस्य द्वारा यह कहा गया कि प्रबन्ध मण्डल, विद्या–परिषद व अन्य महत्वपूर्ण बैठकों का एजेण्डा बैठक से पूर्व यथासमय संबंधित सदस्य को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस सुझाव की पालना सुनिश्चित करने हेतु सदस्य सचिव को आवश्यक निर्देश दिये गये।

बिन्दु सं. 2 **वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.04.2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.04.2017 का कार्यवाही विवरण का अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.04.2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु सं. 3 **विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 16.06.2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 16.06.2017 का कार्यवाही विवरण का अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 16.06.2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु सं. 4 **विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 29.08.2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 29.08.2017 का कार्यवाही विवरण का अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

- विद्या–परिषद की उक्त बैठक के बिन्दु सं. 14 में विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों (आयुर्विज्ञान एवं दन्त महाविद्यालय) में कार्यरत कार्मिकों (शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक) को पदोन्नति देने हेतु राजस्थान सरकार एवं विभिन्न उच्च परिषद (भारत सरकार/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/भारतीय दन्त परिषद/ मानव संसाधन विकास मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इत्यादि) में डी.ए.सी.पी./डी.पी.सी के संबंध में निर्धारित नियमों/गाईडलाईन्स/योग्यताओं के अनुसार की गई अनुशंषाओं को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक अनुमोदन हेतु रखे जाने का निर्णय लिया गया है। अतः विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 29.08.2017 के निर्णय सं. 14 का अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।
- विद्या–परिषद की उक्त बैठक के अंत में राजकीय सोसायटी के माध्यम से राज्य सरकार के अधीन प्रारम्भ किये जाने वाले मेडिकल कॉलेजों के पैटर्न पर राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में फीस निर्धारण किये जाने संबंधी अनुशंषा की गई है, जिसके संबंध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया जाना है।

निर्णय : **विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 29.08.2017 के निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई :–**

- **<u>बिन्दु 14 :</u>** <u>विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों (आयुर्विज्ञान एवं दन्त महाविद्यालय) में कार्यरत कार्मिकों (शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक) को पदोन्नति देने हेतु डी.ए.सी.पी. /डी.पी.सी के संबंध में :–</u>

  <u>निर्णय :–</u> विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों (आयुर्विज्ञान एवं दन्त महाविद्यालय) में कार्यरत कार्मिकों (शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक) की पदोन्नतियों के संबंध में विद्या–परिषद द्वारा की गई अनुशंषा के अनुसार कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि सदस्य (उप सचिव, वित्त व्यय –प्रथम, विभाग) द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय के स्वयं के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अंतिम अनुमोदन के उपरान्त पदोन्नति की कार्यवाही की जानी उचित होगी।

  सदस्य सचिव द्वारा सदन को अवगत कराया गया विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा पूर्व में वर्ष 2010 एवं 2016 में विश्वविद्यालय सेवानियमों का अनुमोदन कर राज्य सरकार को आवश्यक स्वीकृति/अनुमोदन हेतु प्रेषित किये गये थे, परन्तु विश्वविद्यालय के सेवानियमों का अनुमोदन राज्य सरकार स्तर पर प्रकियाधीन है।

  स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान सरकार/रेग्यूलेटरी अथॉरिटिज/संबंधित स्टेट्यूटरी कांउन्सिल्स के नियम भी एडोप्ट किये हैं एवं समय–समय पर विभिन्न पदों पर

नियुक्तियां भी इन नियमों के अनुसार ही की गई हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय समस्त व्यय अपने स्वंय के अर्जित आय से कर रहा है इसमें राज्य सरकार से कोई वित्तिय सहायता प्राप्त नहीं कर रहा है तथा विश्वविद्यालय की तरफ से राज्य सरकार पर किसी भी तरह का वित्तिय भार नहीं पड़ रहा है।

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि महाविद्यालय में एम.सी.आई. द्वारा आगामी निरीक्षण कभी भी किया जा सकता है एवं एम.सी. आई. के नियमों के अनुसार फैकल्टी उपलब्ध नहीं होने के कारण आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की मान्यता पर एम.सी.आई. एवं भारत सरकार द्वारा आक्षेप लगाया जा सकता है। चुंकि विश्वविद्यालय के स्वयं के भर्ती एवं पदोन्नति नियम अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है, जिसमें कि समय लगना स्वाभाविक है, अतः ऐसी परिस्थिति में राजस्थान सरकार एवं विभिन्न उच्च परिषद (भारत सरकार/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/भारतीय दन्त परिषद/ मानव संसाधन विकास मंत्रालय/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इत्यादि) में डी.ए.सी.पी. /डी.पी.सी के संबंध में निर्धारित नियमों/गाईडलाईन्स/योग्यता के अनुसार कार्यवाही की जाकर योग्य शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्मिकों को पदोन्नतियों का लाभ दिया जाना उचित होगा।

बैठक में उपस्थित शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय के स्वयं के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अंतिम रूप दिये जाने की प्रकिया पूर्ण होने तक शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्मिकों को पदोन्नति से वंचित रखा जाना उचित नहीं है। अतः इस संबंध में राज.स्वा.वि.वि. द्वारा राज्य सरकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, संबंधित उच्च परिषदों अथवा भारत सरकार के नियमों में निर्धारित प्रावधानों के तहत नियमानुसार डी.ए.सी.पी./डी.पी.सी. की कार्यवाही निष्पादित की जा सकती है।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर विचार–विमर्श कर विद्या–परिषद की उक्त बैठक के बिन्दु सं. 14 का अनुमोदन करते हुए डी.ए.सी.पी./डी.पी.सी के लिए एवं पदोन्नति में अनुभव में शिथिलता देने हेतु प्रस्तावित कमेटियों का अनुमोदन करते हुए विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों (आयुर्विज्ञान एवं दन्त महाविद्यालय) में कार्यरत कार्मिकों (शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक) को पदोन्नति देने हेतु राजस्थान सरकार एवं विभिन्न उच्च परिषद (भारत सरकार/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/भारतीय दन्त परिषद/मानव संसाधन विकास मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इत्यादि) में डी.ए.सी.पी./डी.पी.सी के संबंध में निर्धारित नियमों/गाईडलाईन्स/योग्यताओं के अनुसार कमेटियों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर पदोन्नति की अनुशंषाऐं प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

साथ ही विश्वविद्यालय के कुलसचिव को निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय के प्रस्तावित स्टेट्यूटस एवं सेवानियमों को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाकर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं राज्य सरकार को पुनः निवेदन किया जावे ।

- **अंतिम चर्चा बिन्दुः–** राज्य सरकार के अधीन प्रारम्भ किये जाने वाले मेडिकल कॉलेजों के (सोसायटी) पैटर्न पर राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में फीस निर्धारण किये जाने के संबंध में:–

  निर्णय : सदन को यह अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के स्वयं के आवृत्ति खर्चो हेतु राज्य सरकार से किसी प्रकार को कोई अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है एवं छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क के अतिरिक्त महाविद्यालय का स्वयं का कोई अन्य वित्तीय स्त्रोत नहीं है। अतः महाविद्यालय में होने वाले वार्षिक व्ययों के वित्तीय भार के दृष्टिगत एम.बी.बी.एस. पाठ्यकम की फीस में वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। विचार–विमर्श उपरान्त विद्या–परिषद द्वारा की गई अनुशंषाओं के कम में राज्य सरकार के अधीन प्रारम्भ किये जाने वाले मेडिकल कॉलेजों के (सोसायटी) पैटर्न को आधार मानते हुए राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में फीस निर्धारण कर राज्य सरकार को निम्नानुसार फीस (प्रति छात्र) का प्रस्ताव भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया :–

  - 15% सीट (NRI Quota) – फीस राशि 1.00 लाख US$ (सम्पूर्ण कोर्स हेतु) + राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य फीस
  - 85% सीट (Other than NRI Quota i.e. All India Quouta & State Qouta) – फीस राशि रू. 7.50 लाख (प्रतिवर्ष) + राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य फीस

उपरोक्त निर्णयों के साथ विद्या–परिषद की बैठक दिनांक 29.08.2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन भी प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया गया।

बिन्दु सं. 5 **निरीक्षण मण्डल की बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :–**

निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 24.04.2017, 13.06.2017, 24.06.2017, 06.07.2017, 24.07.2017, 29.07.2017, 21.08.2017, 29.08.2017 एवं 16.09.2017 के कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 24.04.2017, 13.06.2017, 24.06.2017, 06.07.2017, 24.07.2017, 29.07.2017, 21.08.2017, 29.08.2017 एवं 16.09.2017 के कार्यवाही विवरणों प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु सं. 6 **परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017, 28.06.2017 एवं 17.08.2017 के बैठक कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :–**

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017, 28.06.2017 एवं 17.08.2017 के बैठक कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017, 28.06.2017 एवं 17.08.2017 के बैठक कार्यवाही विवरणों का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु सं. 7 **विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की बैठक दिनांक 31.03.2017 व 24.07.2017 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में :–**

विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की बैठक दिनांक 31.03.2017 व 24.07.2017 की बैठक कार्यवाही विवरण का प्रबंध मण्डल के माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की बैठक दिनांक 31.03.2017 व 24.07.2017 के बैठक कार्यवाही विवरण का प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया।**

बिन्दु सं. 8 **विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के केन्द्रीयकृत मूल्यांकन व्यवस्था हेतु कॉर्डिनेटर को व्यवस्थाओं को मानदेय/भुगतान की व्यय सीमा राशि के संबंध में :–**

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 31.03.2017 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के केन्द्रीयकृत मूल्यांकन व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु कॉर्डिनेटर को व्यवस्थाओं के लिए मानदेय/भुगतान के संबंध में अनुशंषाऐं की गई थी जिन्हें वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.04.2017 के एजेण्डा सं. 13(1) के बिन्दु सं. A, B & C के संबंध में परीक्षा नियंत्रक से हुई चर्चा अनुयार रू. 2.50 लाख प्रति संकाय राशि तय किये जाने पर सहमति हुई थी, किन्तु वित्त समिति के बैठक कार्यवाही विवरण में एजेण्डा सं. 13(1) के बिन्दु सं. A – C हेतु व र्ष 2017–18 में उक्त कार्यो पर व्यय की सीमा रू. 2.50 लाख प्रति संकाय के स्थान पर केवल रू. 2.50 लाख ही अंकित हुए।

अतः वित्त समिति की बैठक के दौरान हुई चर्चानुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के केन्द्रीयकृत मूल्यांकन व्यवस्था हेतु कॉर्डिनेटर को व्यवस्थाओं को मानदेय/भुगतान की व्यय सीमा राशि रू. 2.50 लाख प्रति संकाय संशोधित करवाये जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.04.2017 के एजेण्डा सं. 13(1) के बिन्दु सं. A, B & C के संबंध में टंकण त्रुटि मानते हुए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के केन्द्रीयकृत मूल्यांकन व्यवस्था हेतु कॉर्डिनेटर को व्यवस्थाओं हेतु स्वीकृत मानदेय/भुगतान की व्यय सीमा राशि रू. 2.50 लाख 'प्रति संकाय' (अधिकतम रू. 15.00 लाख समस्त संकायों हेतु) संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया एवं व्यय स्वीकृत बजट सीमा में ही हो, यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।**

बिन्दु सं. 9 **विश्वविद्यालय में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाने हेतु अनुबंधित फर्म मैसर्स करणी केहर सिक्युरिटी कॉ–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जयपुर की अनुबन्ध समयावधि के संबंध में :–**

विश्वविद्यालय में भूतपूर्व सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने हेतु अनुबंधित फर्म मैसर्स करणी केहर सिक्युरिटी कॉ–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सिरसी रोड, खातीपुरा, जयपुर के किये गये अनुबन्ध (वर्ष 2009) की

अवधि विश्वविद्यालय क्रय समिति की बैठक दिनांक 30.03.2017 में लिये गये निर्णयानुसार पूर्व में बढाई गई समयावधि दिनांक 30 सितम्बर 2017 को समाप्त हो रही है। इससे पूर्व विश्वविद्यालय मे सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने हेतु अनुबंधित एजेन्सी की समाप्त होने वाली समयावधि 31.03.2017 को दृष्टिगत रखते हुऐ भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध कराने हेतु Rajasthan Ex-Serviceman Corporatin Limited (REXCO) को विश्वविद्यालय के पत्रांक 24117 दिनांक 01.03.2017 के क्रम में रेक्सको के पत्रांक 4158 दिनांक 22.03.2017 द्वारा भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध कराने हेतु अनुपलब्धता (मार्च 2018 तक) प्रेषित की है। रेक्सको के पत्रांक 4158 दिनांक 22.03.2017 द्वारा भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध कराने हेतु अनुपलब्धता (मार्च 2018 तक) प्रेषित किये जाने के क्रम में वर्तमान में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने हेतु अनुबंधित फर्म मैसर्स करणी केहर सिक्युरिटी कॉ–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सिरसी रोड, खातीपुरा, जयपुर की समयावधि मार्च 2018 तक बढाये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि सदस्य (उप सचिव, वित्त व्यय –प्रथम, विभाग) द्वारा कहा गया कि जहां तक सम्भव हो विश्वविद्यालय में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाने हेतु Rajasthan Ex-Serviceman Corporation Limited (REXCO) की सेवायें ली जानी उचित है। परन्तु चुंकि वर्तमान में REXCO द्वारा इस संबंध में विश्वविद्यालय को अनुपलब्धता (मार्च 2018 तक) जाहिर की जा चुकी है, अतः विश्वविद्यालय को राजस्थान सरकार के नियमानुसार नवीन टेण्डर प्रकिया प्रारम्भ कर सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जानी चाहिए। विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने हेतु टेण्डर प्रक्रिया अतिशीघ्र प्रारम्भ की जावे एवं टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने तक वर्तमान अनुबंधित फर्म मैसर्स करणी केहर सिक्युरिटी कॉ–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जयपुर की अनुबन्ध समयावधि बढाये जाने का निर्णय भी लिया गया।**

बिन्दु सं. 10 **राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय में आचार्य (कन्जर्वेटिव डेन्टिस्ट्री) के पद पर तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में जारी पत्र की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति के संबंध में :–**

निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज. सरकार के पत्रांक 3612 दिनांक 30.05.2017 द्वारा राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के कन्जर्वेटिव डेन्टिस्ट्री विभाग में 01 आचार्य एवं 01 सह–आचार्य के रिक्त पदों को भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय के पत्रांक 6633 दि. 12.07.2017 द्वारा राज.स्वा.वि.वि. दन्त विज्ञान महाविद्यालय में भारतीय दन्त परिषद् (DCI) के आगामी निरीक्षण के दृष्टिगत राज्य सरकार की उक्त स्वीकृति के क्रम में चयन समिति के माध्यम से आचार्य (कन्जर्वेटिव डेन्टिस्ट्री) के पद को तत्काल/अस्थाई आधार (UTB) पर आगामी 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) नियमानुसार भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय का उक्त पत्र कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति प्रदान की गई। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि सदस्य (उप सचिव, वित्त व्यय –प्रथम, विभाग) द्वारा कहा गया कि तत्काल/अस्थाई आधार (UTB) नियुक्ति एवं सेवानिवृत कार्मिकों की सेवाऐं लिये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेशों व नियमों की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए।**

बिन्दु सं. 11 **राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय में आचार्य (ओरल सर्जरी) के पद पर तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में जारी पत्र की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति के संबंध में :–**

निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राज. सरकार के पत्रांक 5300 दिनांक 10.08.2017 द्वारा राज.स्वा.वि.वि. दंत विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के ओरल सर्जरी विभाग में 01 आचार्य के रिक्त पद को भरे जाने की संबंध में विश्वविद्यालय के नियमानुसार भर्ती कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। विश्वविद्यालय के पत्रांक 9425 दि. 10.08.2017 द्वारा राज.स्वा.वि.वि. दन्त विज्ञान महाविद्यालय में भारतीय दन्त परिषद् (DCI) के आगामी निरीक्षण के दृष्टिगत राज्य सरकार की उक्त स्वीकृति के क्रम में चयन समिति के माध्यम से आचार्य (ओरल सर्जरी) के पद को तत्काल/अस्थाई आधार (UTB) पर आगामी 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) नियमानुसार भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय का उक्त पत्र कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष

प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति प्रदान की गई। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि सदस्य (उप सचिव, वित्त व्यय –प्रथम, विभाग) द्वारा कहा गया कि तत्काल/अस्थाई आधार (UTB) नियुक्ति एवं सेवानिवृत कार्मिकों की सेवाऐं लिये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेशों व नियमों की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए।**

बिन्दु सं. 12 **राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में निजी सहभागिता (पी.पी.पी. मोड) से डायलिसिस यूनिट प्रारम्भ करने की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति के संबंध में :–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर द्वारा अपने पत्रांक 3120 दि. 22.07.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिनांक 18.05.2017 को बैठक आयोजित की गई थी जिसमें राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में राज्य के अन्य चिकित्सालयों के समान एवं झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर डायलिसिस की सुविधा शीघ्र प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के अनुसार राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में मरीजों को उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु अधीक्षक द्वारा पत्रावली प्रस्तुत की गई थी व जिला कलक्टर, अधीक्षक, आर.एम.आर.एस., राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय द्वारा स्थापित करने के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। चूंकि आर.डी.बी.पी. राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय का प्रशासनिक नियंत्रण राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को प्राप्त है अतः शीघ्रताशीघ्र मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर चिकित्सालय में निजी सहभागिता (पी.पी.पी. मोड) से डायलिसिस यूनिट प्रारम्भ करने हेतु महाविद्यालय स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अतः महाविद्यालय स्तर पर प्रदान की गई उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में निजी सहभागिता (पी.पी.पी. मोड) से डायलिसिस यूनिट प्रारम्भ करने की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 13 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में एजेन्सी के माध्यम से उपलब्ध करवाये जा रहे कार्मिकों की समयावधि बढ़ाने एवं कार्मिक उपलब्ध करवाने के लिए किये गये अनुबंध की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति के संबंध में :–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से प्राप्त पत्रांक 3132 दिनांक 21.06.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 25.01.2016 के टेबल एजेण्डा संख्या 03 में लिये गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एजेन्सी मै. किरण इन्टरप्राईजेज द्वारा संविदा पर कार्मिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में उपलब्ध कराये जा रहे थे। विश्वविद्यालय द्वारा संविदा पर कार्मिक उपलब्ध करवाने हेतु मै. किरण एन्टरप्राईजेज से किया गया अनुबंध दिनांक 31.05.2016 को समाप्त होने के कारण एवं कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पत्रांक 3608 दिनांक 01.06. 2016, 17108 दिनांक 30.11.2016, 18296 दिनांक 31.12.2016 एवं 21666 दिनांक 01.03.2017 के द्वारा क्रमशः दिनांक 30.11.2016, 31.12.2016, 31.01.2017 एवं 31.03.2017 तक बढ़ाई गई है।

वर्तमान में राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु स्वीकृत पदों पर नियमित रूप से नियुक्त अशैक्षणिक कार्मिक विश्वविद्यालय में पदस्थापित है। उक्त कार्मिकों को पुनः महाविद्यालय में पदस्थापित करने के लिये महाविद्यालय से पत्रांक 9491 दिनांक 29.09.2016 प्रेषित कर विश्वविद्यालय से उक्त कार्मिकों को महाविद्यालय में पदस्थापित किये जाने हेतु लिखा गया था। विश्वविद्यालय द्वारा कार्मिक उपलबध नही करवाने की स्थिति में प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 11.05.2016 द्वारा बढ़ाई गई 06 माह की कार्योत्तर स्वीकृति के पश्चात् महाविद्यालय स्तर पर ही संबंधित फर्म की अवधि उक्त पत्रों के द्वारा बढ़ाई गई। अतः प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा वर्तमान स्थिति के आधार पर कार्यव्यवस्था हेतु कार्मिकों की आवश्यकता के दृष्टिगत एजेन्सी के माध्यम से महाविद्यालय में संविदा पर कार्मिक उपलब्ध करवाने के लिये बढ़ाई गई उक्त समयावधि की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त महाविद्यालय में कार्मिक उपलब्ध करवाने के लिए निविदा के माध्यम से मै. दिवाकर एम्प्लॉयमेंट प्रा.लि., जयपुर से दिनांक 01.04.2017 से एक वर्ष के लिए अनुबंध किया गया है एवं इसकी भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु भी विश्वविद्यालय को अनुरोध किया गया है। अतः राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में एजेन्सी के माध्यम से उपलब्ध करवाये जा रहे कार्मिकों की समयावधि बढ़ाने एवं कार्मिक उपलब्ध करवाने के लिए किये गये अनुबंध की कार्योत्तर

स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति प्रदान की गई। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि सदस्य (उप सचिव, वित्त व्यय –प्रथम, विभाग) द्वारा कहा गया कि तत्काल/अस्थाई आधार (UTB) नियुक्ति एवं सेवानिवृत कार्मिकों की सेवाऐं लिये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेशों व नियमों की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि कार्य की प्रकृति के आधार पर अशैक्षणिक वर्ग में आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा सेवानिवृत कार्मिकों के माध्यम से सेवायें नियमानुसार ली जा सकती है।**

बिन्दु सं. 14 महाविद्यालय के संघटक राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में पीपीपी मोड पर सीटी स्केन, एम.आर.आई, कैथ लैब एवं अन्य जाँच सुविधाएँ प्रारम्भ करने हेतु जारी ई–निविदा सूचना संख्या 18117 दिनांक 23. 03.2017 में रूकमणी देवी जयपुरिया ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित नोटिस दिनांक 06.06.2017 के क्रम में विश्वविद्यालय के पैनल लॉयर श्री एम.ए. खान द्वारा एडवोकेट जनरल, राजस्थान श्री नरपत मल लोढ़ा से ली गई विधिक राय के शुल्क हेतु प्रस्तुत बिल दिनांक 17.10.2017 राशि रू. 55,000.00 के भुगतान स्वीकृति आदेश क्रमांक 4155 दिनांक 06.07.2017 के कार्योत्तर (Ex Post Facto) अनुमोदन के संबंध में :–

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर द्वारा अपने पत्र क. 4281 दि. 10.07.2017 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि महाविद्यालय द्वारा संघटक अस्पताल राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में पीपीपी मोड पर सीटी स्केन, एमआरआई, कैथ लैब एवं अन्य जाँच सुविधाएँ प्रारम्भ करने हेतु जारी ई–निविदा सूचना संख्या 18117 दिनांक 22.03.2016 के क्रम में रूकमणी देवी जयपुरिया चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा प्रे ि ात नोटिस दिनांक 06.06.2016 के सम्बन्ध में श्री एम.ए. खान, पैनल लॉयर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा विषय की गम्भीरता को देखते हुए एडवोकेट जनरल से भी विधिक राय प्राप्त की गई थी। उक्त विधिक राय हेतु श्री नरपत मल लोढ़ा, एडवोकेट जनरल, राजस्थान द्वारा प्रेषित विधिक राय के शुल्क हेतु बिल दिनांक 17.10.2016 राशि रू. 55000.00 प्रेषित किया गया। श्री नरपत मल लोढ़ा, एडवोकेट जनरल द्वारा विधिक राय के शुल्क हेतु प्रस्तुत उक्त बिल दिनांक 17.10.2016 को महाविद्यालय केन्द्रीय भण्डार शाखा में उपलब्ध दस्तावेजों की प्रतिलिपियो के अनुसार विषय की गम्भीरता को मध्यनजर रखते हुए महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर महाविद्यालय स्तर से भुगतान स्वीकृति आदेश क्रमांक 4155 दिनांक 06.07.2017 द्वारा भुगतान किया चुका है। अतः उक्त भुगतान कार्यात्तर स्वीकृति हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त उपरोक्त कार्यवाही का कार्योत्तर (Ex Post Facto) अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया गया।**

बिन्दु सं. 15 राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर तत्काल/अस्थाई आधार पर नियुक्ति हेतु माह मई, जून व जुलाई–2017 में आयोजित किये वॉक–इन–इंटरव्यू में चयन समिति द्वारा की गई अनुशंषाओं की कार्योत्तर (Ex Post Facto) अनुमोदन के संबंध में :–

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर तत्काल/अस्थाई आधार पर नियुक्ति हेतु माह मई, जून व जुलाई–2017 में दिनांक 09.05.2017, 13.06.2017, 20.06. 2017, 27.06.2017, 04.07.2017 एवं 11.07.2017 को वॉक–इन–इंटरव्यू आयोजित किये गये। उक्त वॉक–इन–इंटरव्यूज में विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति द्वारा की गई अनुशं ााओं के अनुसार महाविद्यालय द्वारा चिकित्सकों के रिक्त पदों पर तत्काल/अस्थाई आधार नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके है। अतः उक्त वॉक–इन–इंटरव्यू में चयन समिति द्वारा की गई अनुशंषाओं की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति प्रदान की गई। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि सदस्य (उप सचिव, वित्त व्यय –प्रथम, विभाग) द्वारा कहा गया कि तत्काल/अस्थाई आधार (UTB) नियुक्ति एवं सेवानिवृत कार्मिकों की सेवाऐं लिये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेशों व नियमों की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए।**

बिन्दु सं. 16 राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में स्वीकृत चिकित्सक शिक्षकों के पदों पर तत्काल अस्थाई आधार पर नियुक्ति एवं कार्यावधि विस्तार की अनुमति विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर प्रदान किये जाने के संबंध में :–

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा अपने पत्रांक 4585 दिनांक 13.07.2017 द्वारा

एम.सी.आई. के मापदण्डों के अनुरूप राज्य सरकार से स्वीकृत पदों पर तत्काल/अस्थायी आधार पर आवश्यकतानुसार नियुक्ति एवं कार्यावधि विस्तार की अनुमति विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर ही जारी किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त प्रस्ताव प्रबंध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि सदस्य (उप सचिव, वित्त व्यय –प्रथम, विभाग) द्वारा कहा गया कि तत्काल/अस्थाई आधार (UTB) नियुक्ति एवं सेवानिवृत कार्मिकों की सेवाऐं लिये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेशों व नियमों की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। उक्त सुझाव पर समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।**

बिन्दु सं. 17 **राज.स्वा.वि.वि. आयुविज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में एजेन्सी के माध्यम से टैक्नीशियन कार्मिकों की सेवाऐं लिये जाने के संबंध में :–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुविज्ञान महाविद्यालय के पत्रांक 3048 दिनांक 20.06.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति उपरान्त जो टैक्नीशियन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में पदस्थापित किये गये थे, उनमें से 04 टैक्नीशियन्स का राज्य सरकार की सेवा में चयन होने के कारण उन्होंने विश्वविद्यालय सेवा से त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया था एवं विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें कार्यमुक्त किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि 01 टैक्नीशियन दिनांक 17.01.2017 से बी.एस.सी. पैरा मेडिकल (लेटेरल एन्ट्री के माध्यम से) पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु 02 वर्ष के लिए अवैतनिक अवकाश पर है। अतः उक्त कारणवश महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में टैक्नीशियनों की कमी के कारण जांच कार्य व शिक्षण संबंधित कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है।

वर्तमान में टैक्नीशियनों के जो कुल 25 पद स्वीकृत है उनमें से वर्तमान में 04 टैक्नीशियन ही महाविद्यालय व संलग्न चिकित्सालय में कार्यरत है तथा वर्तमान में टैक्नीशियन्स के कुल 21 पद रिक्त है। पूर्व में राज्य सरकार के पत्र दिनांक 19.12.2014 द्वारा टैक्नीशियनों के 22 पदों को Kept-in-Abeyance रखा गया था। राज्य सरकार के पत्रांक 3300 दिनांक 17.05.2017 द्वारा Kept-in-Abeyance में रहे 22 टैक्नीशियनों के पदों को पुनर्जीवित कर भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में 21 रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की कार्यवाही की जानी है।

आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में टैक्नीशियन्स की कमी के कारण जांच कार्य व शिक्षण संबंधित कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित होने के कारण टैक्नीशियनों के उक्त रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक एजेन्सी के माध्यम से संविदा आधार पर भरे जाने के संबंध में विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि सदस्य (उप सचिव, वित्त व्यय –प्रथम, विभाग) द्वारा कहा गया कि तत्काल/अस्थाई आधार (UTB) नियुक्ति एवं सेवानिवृत कार्मिकों की सेवाऐं लिये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेशों व नियमों की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि कार्य की प्रकृति के आधार पर अशैक्षणिक वर्ग में प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा सेवानिवृत कार्मिकों के माध्यम से सेवायें आवश्यकतानुसार व नियमानुसार ली जा सकती है।**

बिन्दु सं. 18 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के आगामी 5th Batch (चतुर्थ नवीनीकरण व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु आवश्यक) हेतु आवश्यक पदों के सृजन एवं पद भरने के संबंध में राज्य सरकार को प्रेषित पत्र की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति के संबंध में :–**

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के आगामी 5th Batch (चतुर्थ नवीनीकरण व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु आवश्यक) हेतु आवश्यक निम्नानुसार पदों के सृजन एवं पद भरने के संबंध में राज्य सरकार विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 3223 दि. 26.05.2017 द्वारा निवेदन किया गया है :–

S.No.	Deptt.	Designation	Requirement as per MCI norms for 4th renewal (5th Batch)/ for PG course	Already Sanctioned post for UG course	Requirement for new sanction
01	TB & Chest	Professor	01	00	01
02	Anesthesia	Asstt. Professor	04	03	01
03	Pathology (for PG course additional requirement)	Assoc. Professor	01 (Additional requirement)	02	01
		Asstt. Professor	01 (Additional requirement)	03	01

		Senior Demonstrator / Tutor	01 (Additional requirement)	04	01

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (MCI) के आगामी निरीक्षण के दृष्टिगत उक्त नवीन पदों के सृजन एवं भरने की आवश्यकता के दृष्टिगत राज्य सरकार को प्रेषित विश्वविद्यालय का पत्र क्र. 3223 दि. 26.05. 2017 कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति प्रदान की गई। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि सदस्य (उप सचिव, वित्त व्यय –प्रथम, विभाग) द्वारा कहा गया कि तत्काल/अस्थाई आधार (UTB) नियुक्ति एवं सेवानिवृत कार्मिकों की सेवाऐं लिये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेशों व नियमों की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए।**

बिन्दु सं. 19 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर में स्वीकृत चिकित्सक शिक्षकों के रिक्त पदों को तत्काल/ अस्थायी आधार पर वॉक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से भरने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 7124 दि. 18.07.2017 द्वारा प्रदान की गई अनुमति की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति के संबंध में :–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के पत्रांक 5035 दिनांक 18.07.2017, 4821 दिनांक 17.07.2017, 4309 दिनांक 10.07.2017, 4169 दिनांक 07.07.2017, 3991 दिनांक 03.07.2017 व 3141 दिनांक 21.06.2017 के क्रम में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (MCI) के आगामी निरीक्षण के दृष्टिगत राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु स्वीकृत चिकित्सक शिक्षकों के निम्नांकित रिक्त पदों को प्रबन्ध मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति (Post Facto Approval) के आधार पर तत्काल/अस्थायी आधार पर आगामी 03 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) भरे जाने की स्वीकृति विश्वविद्यालय के पत्रांक 7124 दि. 18.07.2017 द्वारा प्रदान की गई है :–

S.No.	Deptt.	Designation	Sanctioned Post	Vacant
01	Anatomy	Professor	01	01
		SD/Tutor	04	01
02	Biochemistry	SD/Tutor	04	01
03	Pathology	SD/Tutor	04	01
04	Microbiology	SD/Tutor	03	01
05	Pharmacology	Asstt. Prof.	02	01
06	PSM	Asstt. Prof.	06	04
		SD/Tutor	04	02
07	Pediatrics	Asstt. Prof.	02	01
08	Radiotherapy	Assoc. Prof.	01	01
09	Medicine	Asstt. Prof.	04	02
11	TB & Chest	Asstt. Prof.	01	01
11	Skin & VD	Asstt. Prof.	01	01
12	Surgery	Asstt. Prof.	04	01
13	Orthopaedics	Asstt. Prof.	02	01
14	Radiodignosis	Asstt. Prof.	01	01
15	Anaesthesia	Professor	01	01
16	OBG	Assoc. Prof.	02	01
		Asstt. Prof.	05	01

अतः विश्वविद्यालय के पत्रांक 7124 दि. 18.07.2017 द्वारा प्रदान की गई उक्त अनुमति कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति प्रदान की गई। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि सदस्य (उप सचिव, वित्त व्यय –प्रथम, विभाग) द्वारा कहा गया कि तत्काल/अस्थाई आधार (UTB) नियुक्ति एवं सेवानिवृत कार्मिकों की सेवाऐं लिये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेशों व नियमों की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए।**

बिन्दु सं. 20 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में स्वीकृत चिकित्सक शिक्षकों के रिक्त पदों पर तत्काल/ अस्थायी आधार (UTB) पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में जारी पत्र की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति के संबंध में:–**

निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.9(122)/DME/2016/3300 दिनांक 17.05. 2017 द्वारा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के IV Renewal हेतु RAPSAR के तहत निम्नांकित

शैक्षणिक पदों के सृजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है :-

S.No.	Name of Deptt.	No. of Post(s)
1.	Radiology	01 (Professor)
2.	Psychiatary	01 (Associate Professor)
3.	Dermatology	01 (Associate Professor)
4.	Dentistry	01 (Associate Professor)
5.	ENT	01 (Associate Professor)
6.	Ophthalmology	01 (Associate Professor)

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के आगामी एम.सी.आई. निरीक्षण के दृष्टिगत राज्य सरकार की उक्त स्वीकृति के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक 6640 दि. 12.07.2017 द्वारा चयन समिति के माध्यम से उपरोक्त पदों को तत्काल/अस्थाई आधार (UTB) पर आगामी 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) नियमानुसार भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय का उक्त पत्र कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार-विमर्श उपरान्त उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति प्रदान की गई। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि सदस्य (उप सचिव, वित्त व्यय -प्रथम, विभाग) द्वारा कहा गया कि तत्काल/अस्थाई आधार (UTB) नियुक्ति एवं सेवानिवृत कार्मिकों की सेवाऐं लिये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेशों व नियमों की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए।**

बिन्दु सं. 21 डॉ. एम.सी.आर. व्यास एवं डॉ. वी.एस. चड्ढा को विश्वविद्यालय की गेस्ट फैकल्टी नियुक्त जाने के संबंध में जारी कार्यालय आदेश की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति के संबंध में :-

विश्वविद्यालय के आदेशांक एफ.2( )संस्थापन-II/राज.स्वा.वि.वि./जयपुर/2017/9675 दिनांक 17.08.2017 के द्वारा डॉ. एम.सी.आर. व्यास, सेवानिवृत्त प्रोफेसर पैथोलॉजी, सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर को राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सह-आचार्य, पैथोलॉजी के रिक्त पद पर आगामी 03 माह की अवधि हेतु गेस्ट फैकल्टी नियुक्त किया गया। विश्वविद्यालय के अन्य आदेशांक एफ.2( )संस्थापन-II/राज.स्वा.वि.वि./जयपुर/2017/9666 दिनांक 17.08.2017 द्वारा डॉ. वी.एस. चड्डा, सेवानिवृत्त आचार्य एवं अतिरिक्त प्रधानाचार्य, सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर को प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से प्राप्त प्रस्तावानुसार महाविद्यालय के मेडिसिन विभाग में आगामी 03 माह की अवधि हेतु गेस्ट फैकल्टी नियुक्त किया गया। अतः डॉ. एम.सी.आर. व्यास एवं डॉ. वी.एस. चड्डा को विश्वविद्यालय की गेस्ट फैकल्टी नियुक्त जाने के संबंध में जारी उक्त कार्यालय आदेश कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **डॉ. एम.सी.आर. व्यास एवं डॉ. वी.एस. चड्डा को विश्वविद्यालय की गेस्ट फैकल्टी नियुक्त जाने के संबंध में जारी कार्यालय आदेश की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 22 सहायक कुलसचिव के पद पर विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों को पातेय-वेतन पर बिना किसी वित्तीय भार के उप-कुलसचिव के पद पर कार्य करने हेतु दिये गये आदेश की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति के संबंध में :-

विश्वविद्यालय के आदेश कमांक 3669 दिनांक 31.05.2017 द्वारा सहायक कुलसचिव के पद पर विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों डॉ. एस.एस. मुद्दगल एवं डॉ. राजेश यादव को पातेय-वेतन पर बिना किसी वित्तीय भार के उप-कुलसचिव के पद पर कार्य करने हेतु दिये गये आदेश प्रदान किये गये है, जो कि प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन के अध्यधीन है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा जारी उक्त आदेश प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **सदस्य सचिव द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के ऑडिनेन्स/नियम एडोप्ट किये गये है एवं विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पातेय वेतन के आदेश राजस्थान विश्वविद्यालय में अपनाई गई प्रकिया /नियमों के तहत ही जारी किया गया है। साथ ही प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 14.06.2016 के एजेण्डा संख्या 07 द्वारा पूर्व में भी विश्वविद्यालय में अनुभागाधिकारी के पद पर कार्यरत वरिष्ठतम अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जोधा को सहायक कुलसचिव के पद पर पातेय-वेतन पर लगाया जाने का अनुमोदन किया जा चुका है। सभी सदस्यों द्वारा उपरोक्त तथ्यो पर विचार-विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा पातेय-वेतन हेतु जारी कार्यालय आदेश की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 23 Research Activity/ Seminar & Workshop इत्यादि हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में वृद्धि

किये जाने के संबंध में :–

विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 17.11.2016 टे. ए. बिन्दु सं.–14 में रिसर्च कार्य को बढावा दिये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु राशि 150.00 लाख का प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया था। जिस पर लेखा शाखा द्वारा वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.04.2017 में वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु Research Activity/ Seminar & Workshop हेतु राशि 75,00,000/– एवं CME/Seminar /Workshop हेतु 20,00,000/–(कुल बजट 95,00,000/–) बजट का प्रावधान रखा गया है, जिसका कि प्रबन्ध मण्डल की बैठक से अनुमोदन होना शेष है।

विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 28.09.2016 के बिन्दु सं.–6 मे लिये गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा सी.एम.ई./वर्कशॉप/कान्फ्रेंस हेतु दिये जाने वाले अनुदान का बजट सत्रवार निर्धारित करने हेतु गठित कमेटी की बैठक दिनांक 16.11.2016 की अनुशंषा के तहत एक ही मद में बजट आवंटित किया जावें के क्रम में उक्त बजट की दोनो मदो (Research Activity/Seminar & Workshop= 75,00,000/–. CME/Seminar/Workshop= 20,00,000/–) को एक ही मद (Research Activity) में परिवर्तित किये जाने बाबत् एवं Executive Committee (Research Projects) की बैठक दिनांक 03. 07.2017 में सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान सत्र में उपलब्ध बजट रूपये 47,50,000/– के प्रस्ताव Executive Committee (Research Projects) द्वारा अनुमोदित किये जा चुके है, और भविष्य में भी नये रिसर्च प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव अनुदान हेतु विश्वविद्यालय में प्राप्त हो सकते है। जिसके लिये अतिरिक्त राशि लगभग 50 लाख रूपये की आवश्यक्ता होगी।

अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष (2017–18) हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त राशि रूपये 50 लाख (Grant for Research Project) का बजट में और प्रावधान किये जाने बाबत् प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष आवश्यक निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **बैठक में उपस्थित माननीय सदस्य डॉ. वी.एम. कटोच द्वारा सदन को अवगत कराया कि वर्तमान परिपेक्ष्य में रिसर्च संबंधित गतिविधियों को बढावा देने की महती आवश्यकता है, जिसके दृष्टिगत विश्वविद्यालय में NASI-ICMR Chair के माध्यम से विश्वविद्यालय के संघटक एवं सम्बद्ध चिकित्सा महाविद्यालयों के छात्रों व फैकल्टी सदस्यों से नवीन रिसर्च प्रोजेक्ट आमंत्रित किये जा रहे है। विश्वविद्यालय के इन प्रयासों के सकारात्मक परिणामों के बारे में भी डॉ. वी.एम. कटोच द्वारा सदन को संक्षित में अवगत कराया गया।**

विचार–विमर्श उपरान्त रिसर्च गतिविधियों हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष (2017–18) हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त राशि रूपये 50 लाख (Grant for Research Project) का बजट में अतिरिक्त प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं. 24 राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को स्वीकृत बजट राशि में से आर.एस.आर.डी.सी. को हस्तांतरित की गई राशि रु. 10.00 करोड़ (राशि रू. दस करोड़ मात्र) की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति के संबंध में :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या – 69 वर्ष 2013–14 की क्रियान्विति के क्रम में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण हेतु वर्ष 2016–17 तक राज्य सरकार द्वारा RUHS को राशि रू. 14720.00 लाख जारी किए गए है। इस राशि में से परियोजना निदेशक (यूनिट तृतीय) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर को पूर्व में हस्तान्तरित राशि की निरन्तरता में अग्रिम राशि रु. 10.00 करोड़ (राशि रू. दस करोड़ मात्र) हस्तान्तरित करने की स्वीकृति विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्र. 3203 दि. 25.05.2017 द्वारा प्रदान की गई है। कार्यकारी एजेन्सी राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर यह सुनिश्चित करेगी कि उपरोक्त राशि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में स्वीकृत कार्यो पर ही व्यय हों। विश्वविद्यालय द्वारा जारी उक्त कार्यालय आदेश प्रबन्ध मण्डल के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 25 परियोजना निदेशक (यूनिट तृतीय), राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर को अग्रिम राशि रू 20.00 करोड़ हस्तान्तरित करने की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति प्रदान करने

के सम्बन्ध में :–

विश्वविद्यालय के आदेशांक एफ.6( )स्टोर/राज.स्वा.वि.वि./2017–18/9789 दिनांक 19.08.2017 के द्वारा परियोजना निदेशक (यूनिट तृतीय), राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर को अग्रिम राशि रू 20.00 करोड़ राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण हेतु हस्तानतरित किये गये। उक्त प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 26 नोडल अधिकारी (स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट) द्वारा प्रस्तुत राशि रूप्ये 4,85,644/– के बिल समायोजन पश्चात कार्योतर (Ex Post Facto) स्वीकृति के संबंध में :–

नोडल अधिकारी (स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट), राज.स्वा.वि.वि., जयपुर द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिये गांव अजमेरीपुरा मे विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विकास कार्यो हेतु अग्रिम प्रदान की गई राशि रूप्ये 4.50,000/– लाख की एवज में राशि रूप्ये 4,85,644/–(3,27,441 + 1,58,203) के खर्च उपरान्त बिल समायोजन हेतु प्रस्तुत किये गये, जिनके भुगतान/समायोजन की कार्यवाही की जा चुकी है। अतः उक्त समायोजन की कार्यवाही कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 27 राज्य में प्रारम्भ किये जाने वाले नवीन 7 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम सत्र 2018–19 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जारी Consent of Affiliation की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति के संबंध में :–

अति. निदेशक (प्रशा.) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर के पत्रांक एफ.7(149)/डीएमई/एकेड. /2016/4263 दिनांक 28.06.2017 द्वारा विश्वविद्यालय को यह अवगत कराया गया है कि राजस्थान राज्य में सी.एस.एस. स्कीम के तहत स्थापित किये जाने वाले निम्न चिकित्सा महाविद्यालयों में आवश्यक संसाधन एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति किये जाने हेतु राज्य सरकार बाध्य है :–

1. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, डूगंरपुर
2. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, चूरू
3. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भीलवाड़ा
4. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बाड़मेर
5. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पाली
6. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सीकर
7. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भरतपुर।

उक्त 7 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017–18 हेतु Consent of Affiliation पूर्व में जारी किये गये थे। राज्य सरकार द्वारा उक्त 7 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए Consent of Affiliation को रिन्यू किये जाने बाबत् विश्वविद्यालय को उक्त पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा सत्र 2017–18 हेतु इन चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु अण्डरटेकिंग दि. 04.07.2016 को जारी की गई थी एवं भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम नवीन पाठ्यक्रम सत्र 2017–18 से प्रारम्भ किये जाने हेतु आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथी 07.07.2016 थी। उक्त अंतिम तिथि के दृष्टिगत इन 7 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा जारी Consent of Affiliation सत्र 2017–18 हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी अण्डरटेकिंग को आधार मानते हुए एम.सी.आई. के नियमो के तहत पालना पूर्ण किये जाने तथा एम.सी. आई. द्वारा मान्यता दिये जाने की शर्त पर जारी किया गया था। इस बाबत् प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 05.07.2016 के प्रस्ताव संख्या 5 में लिये गये निर्णय लिया गया था।

भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम सत्र 2018–19 के आवेदन

प्रस्तुत किये जाने की अन्तिम तिथी 07.07.2017 थी। अतः राज्य सरकार से पत्र दि. 28.06.2017 प्राप्त होने के पश्चात प्रबन्ध मण्डल के निर्णय दिनांक 05.07.2016 को आधार मानते हुए उक्त 7 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम सत्र 2018–19 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जारी Consent of Affiliation कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

बिन्दु सं. 28 एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में विभिन्न मेडिकल पी.जी. कोर्सेज में सीट अभिवृद्धि हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात जमा करवाये गये सीट अभिवृद्धि शुल्क के संबंध में विलम्ब शुल्क एवं पेनल्टी राशि के संबंध में :–

एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में विभिन्न मेडिकल पी.जी. कोर्सेज में सत्र 2017–18 में सीट अभिवृद्धि की केन्द्र सरकार की स्वीकृति दि. 17.04.2017 को विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर अभिवृद्धित सीटों के सम्बद्धता निरीक्षण के संबंध में निवेदन किया गया है। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय सम्बद्धता शुल्क कलेण्डर के अनुसार सत्र 2017–18 हेतु सीट अभिवृद्धि के संबंध में वसूल किये जाने वाले शुल्क हेतु निम्न प्रावधान है :–

In case of seat increase, the fee for seat increase upto 31st December, 2016 will be collected from college as per above fee structure. However, if any permission for seat increase is received after 31st December, 2016, then seat increase fee will be collected with late fee and penalty in the same multiple as being done for annual affiliation fee (as per decision of AC 04.07.2016)

अतः सम्बद्धता शुल्क कलेण्डर सत्र 2017–18 के अनुसार एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर से पी. जी. सीट अभिवृद्धि 2017–18 हेतु स्वीकृति निर्धारित अंतिम तिथि 31.12.2016 के पश्चात प्राप्त होने के कारण उपरोक्त प्रावधान के अनुसार पेनल्टी राशि एवं विलम्ब शुल्क मंगवाया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **सदन को अवगत कराया गया कि एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर द्वारा सत्र 2017–18 के लिए विभिन्न मेडिकल पी.जी. कोर्सेज में सीट अभिवृद्धि हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात जमा करवाया गया है। प्रकरण पर चर्चा के दौरान यह दृष्टिगत हुआ कि विभिन्न मेडिकल पी.जी. कोर्सेज में सत्र 2017–18 में सीट अभिवृद्धि की केन्द्र सरकार की स्वीकृति भी उक्त महाविद्यालय को अंतिम तिथि के पश्चात ही प्राप्त हुई है। अतः राजकीय संस्था होने के दृष्टिगत एवं विलम्ब से प्राप्त हुई केन्द्र सरकार की स्वीकृति के दृष्टिगत उक्त महाविद्यालय से पेनल्टी राशि एवं विलम्ब शुल्क प्राप्त नहीं किये जाने का निर्णय लिया जाकर One Time Relaxation शिथिलता प्रदान किया गया। भविष्य में उक्त प्रकरण को किसी भी प्रकार से उदाहरण के तौर पर नहीं लिये जाने का भी निर्णय प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिया गया।**

बिन्दु सं. 29 विश्वविद्यालय के प्रस्तावित चतुर्थ दीक्षान्त समारोह हेतु वितरित की जाने वाली विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा, मेडल्स आदि हेतु 'Grace Pass' के संबंध में :–

माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय को विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षान्त समारोह बी.एम. बिरला ऑडिटॉरियम, जयपुर में आयोजित किये जाने हेतु निकट भविष्य में तिथि निर्धारित किये जाने हेतु निवेदन किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के *दीक्षान्त समारोह ऑर्डिनेन्स* सं. 10 के प्रावधान निम्न है:–

"10. Supplication for all Degrees/Diplomas/Gold Medals, will be done at a meeting of the Board of Management before the University and Institutional Convocations. The Degrees/Diplomas will bear the date on which the Board of Management passes the grace."

विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा निम्नलिखित डिग्री/डिप्लोमा/मेडल को चतुर्थ दीक्षान्त समारोह में वितरित किये जाने हेतु सूचित किया गया :–

चतुर्थ दीक्षान्त समारोह, वर्ष 2017 में वर्ष 2015 तक संकायवार दी जाने वाली उपाधियों एवं स्वर्ण पदको का विवरण					
4th Convocation, 2017 to be held on …………, Course wise no. of Degrees					
क.सं.	**संकाय**	**वर्ष 2015 की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र**	**वर्ष 2015 से पूर्व की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र**	**कुल उपाधियो की संख्या**	**कुल स्वर्ण पदको की संख्या**

1	Ph.D	24	0	24	
2	D.M	35	1	36	
3	M.Ch.	40	0	40	
4	M.D.	393	0	393	
5	M.S.	222	3	225	
6	MDS	118	0	118	1 Chancellor's Gold Medal
7	P.G. DIPLOMA	59	0	59	
8	M.SC. (Med.)	40	0	40	
9	M PHARMACY	566	1	567	
10	M.SC. NURSING	102	2	104	
11	M.Sc In Radio Therapy (MRT)	3	0	3	
12	MBBS	941	2	943	1
13	BDS	537	4	541	1
14	B.SC. NURSING	2951	6	2957	1
15	POST BASIC B.SC. NURSING	559	14	573	2
16	B.SC. (OT.)	5	0	5	1
17	BRT	19	1	20	1
18	BPT / BOT	102	20	122	1
19	B.PHARMACY	621	139	760	1
20	D.PHARMACY	923	123	1046	
21	ALL DIPLOMA (PARAMEDICAL)	146	3	149	
	Total	8406	319	8725	10

अतः उपरोक्त डिग्री/डिप्लोमा/मेडल विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षान्त समारोह में वितरित किये जाने हेतु प्रबन्ध मण्डल द्वारा 'Grace Pass' किया जाना है। अतः इस संबंध में आवश्यक अनुशंषा किये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह ऑर्डिनेन्स सं. 10 के प्रावधानों की पालना में उपरोक्त डिग्री/डिप्लोमा/मेडल विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षान्त समारोह में वितरित किये जाने हेतु प्रबन्ध मण्डल द्वारा 'Grace Pass' किया गया।**

बिन्दु सं. 30 छात्रा श्रेया आसोपा, एम.बी.बी.एस. कोर्स, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर के प्रकरण में गठित कमेटी की रिपोर्ट दि. 19.09.2017 पर विचार-विमर्श एवं आवश्यक निर्णय :-

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 19.04.2017 के बिन्दु सं. 4 में लिये गये निर्णय के क्रम में छात्रा श्रेया आसोपा, एम.बी.बी.एस. कोर्स, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर के प्रकरण में एक कमेटी गठित की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय में दायर सिविल रिट पिटीशन क्रमांक 13213/2017 के अन्तर्गत जारी आदेश दिनांक 21/08/2017 के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय पेनल अधिवक्ता श्री एम.ए. खान द्वारा प्रस्तुत पत्र दि. 27.08.2017 पर विचार-विमर्श कर उक्त कमेटी द्वारा दिनांक 19.09.2017 को बैठक आयोजित कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार-विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **सदन को अवगत कराया गया कि छात्रा श्रेया आसोपा, एम.बी.बी.एस. कोर्स, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर के प्रकरण में प्रबन्ध मण्डल की पूर्व बैठक दिनांक 19.04.2017 के बिन्दु सं. 4 के निर्णयानुसार एक कमेटी गठित की गई थी। उक्त कमेटी में डॉ. आर.के. कोठारी, माननीय सदस्य-प्रबन्ध मण्डल को भी सदस्य बनाया गया था, परन्तु डॉ. कोठारी की नियुक्ति राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में कुलपति पद पर हो जाने के कारण उनके स्थान पर उक्त कमेटी में डॉ. धनपत कोचर, माननीय सदस्य-प्रबन्ध मण्डल (माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित) को प्रकरण की कमेटी में सदस्य बनाया गया है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा इसका अनुमोदन किया गया।**

प्रकरण में गठित कमेटी की बैठक दिनांक 19.09.2017 एवं 22.09.2017 की रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रकरण के संबंध में शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार द्वारा विस्तृत जानकारी चाही गई, जिसके बारे में परीक्षा नियंत्रक, राज.स्वा.वि.वि. द्वारा उन्हें प्रकरण की बिन्दुवार तथ्यात्मक वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। विचार–विमर्श उपरान्त प्रकरण में गठित कमेटी की बैठक दिनांक 19.09.2017 एवं 22.09.2017 की रिपोर्ट में की गई अनुशंषाओं के अनुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाकर माननीय न्यायालय में तदानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। साथ ही अनुचित साधन जांच प्रकरण समिति की बैठक दि. 31.03.2017 में प्रकरण में छात्रा श्रेया आसोपा को ऑर्डिनेन्स के प्रावधानों अन्तर्गत दी गई सजा को भी यथावत रखा जाने का निर्णय लिया गया।

TABLE-AGENDA

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 1

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु स्वीकृत विभिन्न अशैक्षणिक पदों को भरने की स्वीकृति के संबंध में :–

निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. सरकार के पत्रांक 3300 दिनांक 17.05.2017 एवं 4042 दिनांक 19.06.2017 के क्रम में राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु स्वीकृत निम्नलिखित अशैक्षणिक पदों को भरने की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है :–

Name of Posts	Vacant Posts
Techinician/Tech. Asstt.	21
Lab. Tech.	08
Steno	07
LDC (Record Clerk)	03
Literate Attendent/Lab Attendent	07
MO (Lady)	02
Medical Social Worker	03
Psychiatric Social Worker	01
Disease Health Worker	01
Sanitary Inspector (Health)	01
Nurse Grade-II	60
MRO	01
Deputy Liberian	01
Radiographer	02
Total Posts	**118**

उल्लेखनीय है उक्त पदों पर भर्ती से संबंधित आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रकरण चैयरमेन, प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा सैल को भिजवाया जा चुका है तथा प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा सैल द्वारा उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करते हुए ऑनलाईन आवेदन दि. 25.09.2017 से प्राप्त किये जाने हेतु विज्ञापित किया जा चुका है, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति भी प्रबन्ध मण्डल से अपेक्षित है।

निर्णय : **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु स्वीकृत विभिन्न अशैक्षणिक पदों में से उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार पदों को भरने की स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई एवं इस संबंध में की गई कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति भी प्रदान की गई।**

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 2

विश्वविद्यालय के विभिन्न अशैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित की गई योग्यताओं के अनुमोदन के संबंध में :–

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु स्वीकृत विभिन्न अशैक्षणिक पदों (उपरोक्त टेबल एजेन्डा सं. 1 के अनुसार) पर भर्ती की जानी प्रस्तावित है। उक्त शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित की जाने वाली शैक्षणिक एवं अनुभव से संबंधित योग्यताओं की सूची श्री के.सी.डी. माथुर, सेवानिवृत्त उप सचिव एवं विश्वविद्यालय सेवा नियमों के सलाहकार से प्राप्त की गई है जो कि प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक अनुमोदत हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु स्वीकृत विभिन्न अशैक्षणिक पदों (उपरोक्त टेबल एजेन्डा सं. 1 के अनुसार) पर भर्ती हेतु श्री के.सी.डी. माथुर, सेवानिवृत्त उप सचिव एवं विश्वविद्यालय सेवा नियमों के सलाहकार से प्राप्त सूची के अनुसार इन पदों की शैक्षणिक एवं अनुभव से संबंधित योग्यता निर्धारित किये जाने का अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया गया। इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि योग्यता का निर्धारण राज्य सरकार/राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुसार निर्धारित हो।**

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 3

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में Kept in Abeyance रखे गये अशैक्षणिक पदों को पुनर्जीवित करने के उपरान्त सीधी भर्ती हेतु तैयार रोस्टर के अनुमोदन के संबंध में :—

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में Kept in Abeyance रखे गये अशैक्षणिक पदों को राज्य सरकार के पत्रांक 3300 दिनांक 17.05.2017 के द्वारा पुनर्जीवित करने उपरान्त उक्त पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। उक्त पदों का भर्ती रोस्टर तैयार करने हेतु श्री के.सी.डी. माथुर, सेवानिवृत्त उप सचिव एवं विश्वविद्यालय सेवा नियमों के सलाहकार को वि.वि. का पत्रांक 11171 दिनांक 16.09.2017 प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में श्री के.सी.डी. माथुर के पत्र दि. 16.09.2017 के माध्यम से प्राप्त रोस्टर विचार—विमर्श एवं आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :

माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में Kept in Abeyance रखे गये अशैक्षणिक पदों को पुनर्जीवित किया गया है जिन पर सीधी भर्ती की जानी है। इस हेतु श्री के.सी.डी. माथुर, सेवानिवृत्त उप सचिव एवं विश्वविद्यालय सेवा नियमों के सलाहकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रणाली के नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए अपने पत्र दि. 16.09.2017 के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए रोस्टर प्रस्तुत किया गया है। विचार—विमर्श कर कार्मिक विभाग के नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए उक्त रोस्टर का अनुमोदन किया गया।

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 4

राज.स्वा.वि.वि. द्वारा आयोजित अशैक्षणिक भर्ती परीक्षा—2017 में विश्वविद्यालय में सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट/शिथिलता एवं निर्धारित भर्ती परीक्षा में प्राप्त अंको के अतिरिक्त 05 प्रतिशत अंक, बोनस अंक के रूप में प्रदान किये जाने के संबंध में:—

सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 13.09.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की सिण्डीकेंट की बैठक दिनांक 28.07.16 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान विश्वविद्यालय में होने वाली अशैक्षणिक संवर्ग की भर्ती प्रकिया में एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को सेवा अनुभव का लाभ बोनस अंक/वरीयता एवं इससे संबंधित अन्य पक्ष पर विचार विमर्श करने हेतु गठित कमेटी की दिनांक 1.12.16 व 3.12.16 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है —

"राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा अनुबंधित सेवाप्रदाता एजेन्सियों के माध्यम से कार्यरत वे व्यक्ति, जो विज्ञापन जारी करने की तिथि को कार्यरत है एवं विगत 03 वर्षो या उससे अधिक अवधि से निरन्तर सेवा दे रहे है, उन्हे अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट/शिथिलता एवं निर्धारित परीक्षा में प्राप्त अंको के अतिरिक्त, पूर्णांक के 5 प्रतिशत अंक, बोनस अंक के रूप में प्रदान किए जायेगें"

कमेटी के उक्त बैठक कार्यवाही विवरण को राजस्थान विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट की बैठक दिनांक 06.12.2016 के एजेण्डा सं. 05 में अनुमोदन किया जा चुका है तथा उक्त अनुमोदन के आधार पर राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के आदेश कमांक संस्था—2/2016/11178 दिनांक 20.12.2016 जारी किया जा चुका है व राजस्थान विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति में उक्त का उल्लेख (नोट : बिन्दु सं. 05) किया गया है।

अतः राज.स्वा.वि.वि. में सेवाप्रदाता एजेन्सियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों से प्राप्त अभ्यावेदन में किये गये निवेदन के कम में राज.स्वा.वि.वि. द्वारा आयोजित अशैक्षणिक भर्ती परीक्षा—2017 में विश्वविद्यालय में सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट/शिथिलता एवं निर्धारित भर्ती परीक्षा में प्राप्त अंको के अतिरिक्त 05 प्रतिशत अंक, बोनस अंक के रूप में प्रदान किये जाने के संबंध में प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार—विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय :

राज.स्वा.वि.वि. द्वारा आयोजित अशैक्षणिक भर्ती परीक्षा—2017 में विश्वविद्यालय में सेवाप्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट/शिथिलता एवं निर्धारित भर्ती परीक्षा में प्राप्त अंको के अतिरिक्त 05 प्रतिशत अंक, बोनस अंक के रूप में प्रदान किये जाने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन हेतु राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य के अन्य विभागों व राजकीय विश्वविद्यालयों में की गई भर्तियों में दी गई आयु की छूट व बोनस अंकों का संदर्भ भी उक्त पत्र में शामिल करने के निर्देश प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान किये गये।

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 5

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अशैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक एजेन्सी के माध्यम से कार्मिक लेने की स्वीकृति के संबंध में :—

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा पत्रांक 8277 दिनांक 12.09.2017 एवं 8673

दिनांक 16.09.2017 के द्वारा महाविद्यालय में नियमित एम.सी.आई. के निरीक्षण एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के दृष्टिगत राज्य सरकार के पत्रांक 4042 दिनांक 19.06.2017 एवं प.18(34)एम.ई./ग्रुप–1/2013 पार्ट जयपुर दिनांक 16.09.2013 एवं 19.12.2014 के द्वारा स्वीकृत निम्नांकित अशैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक एजेन्सी के माध्यम से कार्मिक लेने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया है :–

S.No.	Name of Post	No. of Post
01	Deputy Librarian	01
02	Photographer	01
03	Carpenter	01
04	Class IV	03
05	Technician	22
06	Lab. Technician	08
07	Computer Operator against sanctioned post of Steno & LDC	10
08	Literate Attendent	07
09	Medical Officer (Lady)	02
10	Medical Social Worker	03
11	Sanitary Inspector (Health)	01
12	Disease Health Worker	01
13	Psychiatric Social Worker	01
14	Liberarian	01
15	P.T.I.	01

इस क्रम में उल्लेख है कि राज्य सरकार द्वारा क्रम संख्या 02, 03 व 04 पर उल्लेखित रिक्त पदों पर Job Basis पर आउट सोर्स कर सेवाऐं लेने हेतु निर्देशित किया गया है। क्रम संख्या 14 व 15 पर उल्लेखित रिक्त पदों पर विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही की गई है। शेष अशैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

अतः एम.सी.आई. के निरीक्षण एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत उक्त अशैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक एजेन्सी के माध्यम से कार्मिक लेने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में प्रकरण/प्रस्ताव विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि कार्य की प्रकृति के आधार पर सक्षम स्वीकृति प्राप्त होना सुनिश्चित करते हुए अशैक्षणिक वर्ग में आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा सेवानिवृत कार्मिकों के माध्यम से सेवायें नियमानुसार ली जा सकती है।**

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 6 **विश्वविद्यालय में कार्मिकों की कमी को दृष्टिगत रखते 'मशीन विद मैन' कार्मिकों की सेवायें लिये जाने के संबंध में :–**

राज्य सरकार के पत्र दिनांक 16.09.16 द्वारा वर्ष 21016–17 द्वारा इस विश्वविद्यालय हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 10 मशीन विद मैन की स्वीकृति जारी की गई थी, विश्वविद्यालय के पत्रांक पत्रांक 24682 दिनांक 16.03.17 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 व 2018–19 हेतु बढाने हेतु निवेदन गया है। जिसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। विश्वविद्यालय का कार्यभार अत्यधिक बढ जाने के कारण तथा विश्वविद्यालय में कार्मिकों की कमी होने के कारण समय पर कार्य सम्पादन करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

वर्तमान में निम्नानुसार मशीन विद मैन विश्वविद्यालय में लिये जा रहे हैः–

मशीन विद मैन	कुल 10

साथ ही परीक्षा नियन्त्रक, राज.स्वा.वि.वि. के यू.ओ.नोट कमांक 7340 दिनांक 20.09.2017 द्वारा परीक्षा अनुभाग में अत्यधिक बढे हुये कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुये तथा अन्य अनुभागों की समय–समय पर मांग तथा बढे हुये कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुये निम्नानुसार मशीन विद मैन की आवश्यकता हैः–

परीक्षा अनुभाग व अन्य अनुभागों में मेशीन विद मशीन की आवश्यकता	कुल 18

विश्वविद्यालय में मशीन विद मैन की राज्य सरकार से स्वीकृति लिये जाने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा मशीन विद मैन की वार्षिक आधार पर स्वीकृति जारी की जाती है, जिसमें अधिक समय व्यतीत हो जाता है। राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण विश्वविद्यालय का कार्य बाधित होता है।
अतः विश्वविद्यालय में अप्रेल 2017 से सितम्बर 2017 तक रखे गये 10 मशीन विद मशीन की कार्योत्तर स्वीकृति तथा विश्वविद्यालय का कार्यभार अत्यधिक बढ जाने के कारण व विश्वविद्यालय में कार्मिकों की कमी को दृष्टिगत रखते निम्नानुसार मशीन विद मैन लिये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है :–

परीक्षा अनुभाग व अन्य अनुभागों में मेशीन विद मशीन की आवश्यकता	पूर्व में रखे गये मैन विद मशीन	**कुल मशीन विद मैन की आवश्यकता**
18	10	**28**

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए विश्वविद्यालय को प्रदान की गयी 10 मशीन विद मैन की स्वीकृति के अनुसार वर्ष 2017–18 में ली गयी/जा रही सेवाओं की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए आगामी वर्ष 2018–19 के लिए अवधि /सेवाऐं निरन्तर रखने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।**

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 7 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से सम्बद्ध राज. जयपुरिया चिकित्सालय में राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत 27 नर्सिंग कार्मिकों का वेतन भुगतान महाविद्यालय कोष से किये जाने के संबंध में:–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा पत्रांक 8359 दिनांक 13.09.2017 के माध्यम से अवगत कराया है कि अधीक्षक, राज. जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर द्वारा प्रधानाचार्य, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर को पत्रांक 701 दिनांक 24.04.2017 प्रेषित कर जयपुरिया चिकित्सालय हेतु 27 नर्सिंग कार्मिक चाहे गये। प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर के आदेश क्रमांक 11965 दिनांक 04.05.2017 की अनुपालना में कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, राज. सेटेलाईट चिकित्सालय, बनीपार्क, जयपुर ने कार्यालय आदेश क्रमांक 1622–51 दिनांक 08.05.2017 जारी करते हुए जयपुरिया चिकित्सालय में 27 नर्सिंग कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति आधार पर अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया। उक्त नर्सिंग कार्मिकों की जयपुरिया चिकित्सालय में ज्वॉइनिंग दिनांक से वर्तमान दिनांक तक की उपस्थिति महाविद्यालय में प्राप्त हुई है। उक्त नर्सिंग कार्मिक राज्य सरकार द्वारा स्थायी नियुक्त है तथा वर्तमान में परिवीक्षाकाल (Probation Period) में है। प्रधानाचार्य महोदय ने उक्त नर्सिंग कार्मिकों का वेतन भुगतान महाविद्यालय कोष से किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रबंध मण्डल की आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु कुल 144 (25 + 119) नर्स ग्रेड–।। के पद स्वीकृत किये गये है जिनमें से 25 नर्स ग्रेड–।। को विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। जिनमें से वर्तमान में कुल 23 नर्स ग्रेड–।। नियमित रूप से कार्यरत है। साथ ही राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में नर्स ग्रेड–।। के 60 पदों पर नियमित भर्ती की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

अतः प्रधानाचार्य महोदय से प्राप्त उक्त प्रस्ताव विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार नर्सिंगकर्मियों के वेतन प्राप्ति के अधिकार के दृष्टिगत राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर जयपुरिया चिकित्सालय में कार्यरत 27 नर्सिंग कार्मिकों का वेतन भुगतान राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कोष से किये जाने का निर्णय लिया गया। यह पदस्थापन नियमित भर्ती से कार्मिक (नर्सिंग) उपलब्ध होने या अन्य आदेश (जो भी पहले हो) तक ही रहेगा।**

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 8 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार पर कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों की कार्य समयावधि बढ़ाये जाने के संबंध में :–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से प्राप्त पत्रांक 6126 दिनांक 01.08.2017 एवं 7942 दिनांक 05.09.2017 के अनुसार पूर्व में वि.वि. के पत्रांक 3242 दिनांक 26.05.2017 के द्वारा महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार पर कार्यरत निम्नांकित शैक्षणिक कार्मिकों की समयावधि अग्रिम रूप से 06 माह हेतु बढ़ाई गई थी। उक्त स्वीकृति के द्वारा बढ़ाई गई समयावधि दिनांक 30.09.2017 को समाप्त होने वाली है। उल्लेखनीय है कि निकट भविष्य में महाविद्यालय में एम.सी.आई. का निरीक्षण प्रस्तावित है। अतः प्रधानाचार्य महोदय ने निम्नांकित सारणी में अंकित कार्मिकों की समयावधि आगामी 06 माह तक या उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया है :—

S.No.	Name	Designation	Date of Joining	Extension end on
1.	*Dr. Sunila Chadda	Professor (Pathology)	03/11/2016	**01/08/2017**

S.No.	Name	Designation	Date of Joining	Extension end on
1.	Dr. Asrar Ahmed	Associate Professor (General Medicine)	06/04/2015	30/09/2017
2.	Dr. Dheeraj Agarwal	Associate Professor (General Surgery)	09/02/2016	30/09/2017
3.	Dr. Chandrika Gupta	Associate Professor (Pathology)	28/04/2014	30/09/2017
4.	Dr. Shweta Mangal	Assistant Professor (P.S.M.)	09/12/2014	30/09/2017
5.	*Dr. Kumar Asnani	Associate Professor (Anaesthesia)	03/11/2016	**01/08/2017**
6.	*Dr. Gaurav Sharma	Associate Professor (Anaesthesia)	12/01/2016	**31/03/2017**
7.	Dr. Manish Jakhar	Assistant Professor (General Surgery)	06/04/2015	30/09/2017
8.	Dr. Bhagwati Chundawat	Assistant Professor (Microbiology)	21/09/2014	30/09/2017
9.	Ms. Vijeta Sharma	Senior Demonstrator (Microbiology)	26/08/2015	30/09/2017
10.	Dr. Meeta Gupta	Assistant Professor (OBG)	24/08/2015	30/09/2017
11.	Dr. Sapna Shrivastava	Assistant Professor (Pathology)	21/09/2015	30/09/2017
12.	Dr. Shailesh Jain	Assistant Professor (OBG)	21/09/2015	30/09/2017
13.	Dr. Tasneem Zahra	Assistant Professor (OBG)	21/09/2014	30/09/2017
14.	Dr. Archana Singh	Senior Demonstrator (Pathology)	11/12/2014	30/09/2017
15.	Dr. Kritika Sharma	Assistant Professor (Pathology)	24/11/2015	30/09/2017
16.	Dr. Monisha Sahai	Assistant Professor (Paediatrics)	10/12/2014	30/09/2017
17.	Dr. Priyanka Rathi	Assistant Professor (Pharmacology)	11/12/2014	30/09/2017
18.	*Dr. Vandana Patidar	Assistant Professor (Psychiatry)	08/11/2016	**06/08/2017**
19.	Mr. Rajveer Singh Rathore	Senior Demonstrator (Pharmacology)	21/09/2014	30/09/2017
20.	Dr. Kiran Sharma	Senior Demonstrator (Physiology)	23/04/2014	30/09/2017
21.	Dr. Arvind Kumar	Assistant Professor	21/09/2014	30/09/2017

	Sharma	(P.S.M.)		
22.	Dr. Manisha Malik	Assistant Professor (PSM)	21/09/2014	30/09/2017
23.	Dr. Sweta Tikkiwal	Senior Demonstrator (PSM)	24/08/2015	30/09/2017
24.	Dr. Ankesh Goyal	Assistant Professor (Orthopaedics)	27/10/2016	25/10/2017
25.	*Dr. Piyush Kumar Mishra	Statistics (PSM)	10/11/2016	**08/08/2017**

* *प्रथम सारणी की क्रम संख्या 01 तथा द्वितीय सारणी की क्रम संख्या 05, 06, 18 व 25 पर अंकित कार्मिकों की समयावधि समाप्त हो चुकी है किन्तु उक्त कार्मिक निरन्तर अपनी सेवायें दे रहे है।*

निकट भविष्य में महाविद्यालय में एम.सी.आई. के प्रस्तावित निरीक्षण के दृष्टिगत उक्त शैक्षणिक कार्मिकों की समयावधि आगामी 06 माह तक या उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्ताव विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में तत्काल/अस्थायी आधार पर कार्यरत शैक्षणिक कार्मिकों की समयावधि बढाने का निर्णय लिया गया। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि सदस्य (उप सचिव, वित्त व्यय –प्रथम, विभाग) द्वारा कहा गया कि तत्काल/अस्थाई आधार (UTB) नियुक्ति एवं सेवानिवृत कार्मिकों की सेवाऐं लिये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेशों व नियमों की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रकरण में प्रबन्ध मण्डल की 85वीं बैठक दिनांक 08.04.2015 के प्रस्ताव संख्या–13 के निर्णय में उल्लेखित प्रमुख सचिव, महोदय के निर्देशानुसार इसमें कार्यवाही की जायें।**

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 9 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में आचार्य (फोरेन्सिक मेडिसिन) एवं आचार्य (ई.एन.टी.) के रिक्त पद पर तत्काल/अस्थायी आधार पर नियुक्ति करने के संबंध में:–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा पत्र क. 8384 दिनांक 13.09.2017 द्वारा अवगत कराया है कि पूर्व में आचार्य (फोरेन्सिक मेडिसिन) एवं आचार्य (ई.एन.टी.) के रिक्त पदों पर तत्काल/अस्थायी आधार पर नियुक्त चिकित्सक शिक्षक दीर्घावधि से अनुपस्थित चल रहे है, जिससे महाविद्यालय से सम्बद्धित राज. जयपुरिया चिकित्सालय में चिकित्सकीय कार्य बाधित हो रहे है। प्रधानाचार्य महोदय ने विभागीय चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालन हेतु एवं एम.सी.आई. के निकट भवि य में होने वाले निरीक्षण के दृष्टिगत आचार्य (फोरेन्सिक मेडिसिन) एवं आचार्य (ई.एन.टी.) के रिक्त पदों पर तत्काल/अस्थायी आधार पर प्राथमिकता से भर्ती करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के पत्र दिनांक 10.11.2015 के द्वारा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग में 01 आचार्य एवं ई.एन.टी. विभाग में 01 आचार्य के स्वीकृत पदों को नियमित भर्ती द्वारा भरने हेतु अनुमति प्रदान की है। राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में उक्त पदों पर नियमित भर्ती की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

अतः प्रधानाचार्य महोदय द्वारा अवगत कराई गई उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में आचार्य (फोरेन्सिक मेडिसिन) एवं आचार्य (ई.एन.टी.) के रिक्त पदों को तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर आगामी 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो), भरे जाने की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में प्रकरण/प्रस्ताव विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **इस संबंध में तत्काल/अस्थाई आधार (UTB) नियुक्ति एवं सेवानिवृत कार्मिकों की सेवाऐं लिये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेशों व नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।**

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 10 **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के पी.एम.आर. विभाग में सहायक आचार्य के पद पर तत्काल/अस्थायी आधार पर नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में :–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा अपने पत्रांक 6261 दिनांक 02.08.2017 द्वारा अवगत कराया है कि आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के पी.एम.आर. विभाग में तत्काल/अस्थायी आधार पर सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त डॉ. संजीव कुमार शर्मा के त्याग पत्र प्रस्तुत करने के फलस्वरूप उक्त पद रिक्त हो गया है। अतः प्रधानाचार्य महोदय ने एम.सी.आई. के वर्ष 2018–19 के प्रस्तावित निरीक्षण के दृष्टिगत सहायक आचार्य (पी.एम.आर.) के रिक्त पद पर तत्काल/अस्थायी आधार पर नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के पत्र दिनांक 10.11.2015 के द्वारा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के पी.एम.आर. विभाग में 01 सहायक आचार्य के स्वीकृत पद को नियमित भर्ती द्वारा भरने हेतु अनुमति प्रदान की है। राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में उक्त पद पर नियमित भर्ती की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

अतः प्रधानाचार्य महोदय द्वारा अवगत कराई गई उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सहायक आचार्य (पी.एम.आर.) के रिक्त पद को तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर आगामी 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो), भरे जाने की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में प्रकरण/प्रस्ताव विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **इस संबंध में तत्काल/अस्थाई आधार (UTB) नियुक्ति एवं सेवानिवृत कार्मिकों की सेवाऐं लिये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेशों व नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।**

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 11

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के निश्चेतन एवं पैथोलॉजी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर तत्काल/अस्थायी आधार पर भर्ती की अनुमति प्रदान करने के संबंध में :–

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा अपने पत्रांक 7492 दिनांक 29.08.2017 के माध्यम से अवगत कराया है कि विभागाध्यक्ष, निश्चेतन विभाग द्वारा निश्चेतन विभाग में चिकित्सक शिक्षकों की कमी दर्शायी गई है एवं निकट भविष्य में पैथोलॉजी विभाग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रधानाचार्य महोदय ने महाविद्यालय के निश्चेतन एवं पैथोलॉजी विभाग में सहायक आचार्य के पदों पर उक्त आवश्यकता के दृष्टिगत तत्काल/अस्थायी आधार पर भर्ती की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के पत्र दिनांक 10.11.2015 के द्वारा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के निश्चेतन विभाग में 01 सहायक आचार्य एवं पैथोलॉजी विभाग में 02 सहायक आचार्य के स्वीकृत पदों को नियमित भर्ती द्वारा भरने हेतु अनुमति प्रदान की है। राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में उक्त पदों पर नियमित भर्ती की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

अतः मेडिकल कौन्सिल ऑफ इण्डिया (MCI) के प्रस्तावित निरीक्षण के दृष्टिगत आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सहायक आचार्य (निश्चेतन) एवं सहायक आचार्य (पैथोलॉजी) के रिक्त पदों को तत्काल/अस्थायी आधार (UTB) पर आगामी 06 माह अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो), भरे जाने की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में प्रकरण/प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : **इस संबंध में तत्काल/अस्थाई आधार (UTB) नियुक्ति एवं सेवानिवृत कार्मिकों की सेवाऐं लिये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा आदेशों व नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।**

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 12

विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की बैठक दिनांक 16.09.2017 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में :–

विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की बैठक दिनांक 16.09.2017 का बैठक कार्यवाही विवरण का प्रबंध मण्डल के माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय की अनुचित साधन प्रकरण जांच समिति की बैठक दिनांक 16.09.2017 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।**

टेबल

Consultancy Services for Selecting a Private Sector Partner for Developing RUHS's Medical College & Allied Institutions into a World- Class Centre for Learning हेतु

एजेण्डा बिन्दु सं. 13 PDCOR द्वारा प्रस्तुत एम.ओ.यू. अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने बाबत।

विशेषाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1), विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का पत्र क्रमांक प. 18(2)एमई/ग्रुप–1/2016 दिनांक 08.08.2016 एवं PDCOR Limited Letter no. PDCOR/SH/RUHS/865 Dated 17.03.2017 एवं विद्या परिषद की 109वीं बैठक दिनांक 16.06.2017 के बिन्दु संख्या 3 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में PDCOR Limited से Consultancy Services for Selecting a Private Sector Partner for Developing RUHS's Medical College & Allied Institutions into a World- Class Centre for Learning कार्य हेतु एम.ओ.यू. प्राप्त हुआ है। उक्त एम.ओ.यू व कार्य के अनुमोदनार्थ हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **Consultancy Services for Selecting a Private Sector Partner for Developing RUHS's Medical College & Allied Institutions into a World- Class Centre for Learning हेतु PDCOR द्वारा प्रस्तुत एम.ओ.यू. का अनुमोदन किया जाकर तदानुसार एम.ओ.यू. पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु PDCOR को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।**

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 14 **स्टेट कैंसर इंस्टीटयूट की स्थापना बाबत प्राचार्य राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय :–**

प्राचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक RUHS-CMS/पीए/2017/1/ 8800 Date-19.092017 के माध्यम से स्टेट कैंसर इंस्टीटयूट की स्थापना के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त प्राचार्य राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के उक्त पत्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट की स्थापना हेतु राज.स्वा.वि.वि., एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज एवं टाटा ट्रस्ट के मध्य ट्राई पार्टी एग्रीमेन्ट किये जाने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय स्तर पर राशि की उपलब्धता एवं विस्तृत विवरण (प्रस्ताव) सुनिश्चित करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट की स्थापना के प्रथम चरण में आवश्यक राशि की पूर्ति हेतु राज.स्वा.वि.वि. के मेडिकल कॉलेज हेतु आवंटित बजट राशि में से रू. 15.00 करोड की राशि उपयोग में लिये जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने का प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।**

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 15 **प्रबंध मण्डल द्वारा Ph.D. पाठ्यक्रम में प्रवेश निरस्त किये गये शोधार्थीयों का Ph.D. पाठ्यक्रम में प्रवेश को नवीकरण (Renew) करने एवं गाईड परिवर्तन किये जाने के संबंध में Ph.D. शोधार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय :–**

सत्र–2015 में आवंटित Ph.D. शोधार्थियों की Synopsis विश्वविद्यालय में निर्धारित समय पर प्रस्तुत नही होने के संबंध में प्रकरण को रिसर्च बोर्ड की बैठक दिनांक 12.01.2017 के बिन्दु सं. –7 में रखा गया। रिसर्च बोर्ड के निर्णय की पालना में पीएच.डी. शोधर्थियों को पत्र प्रेषित होने की तिथि 25.02.2017 से सात दिवस तक Synopsis विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि यदि शोधार्थी निर्धारित समय में Synopsis विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नही करता है तो उसकी Synopsis विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नही की जावेगी एवं पीएच.डी. पाठ्यक्रम से प्रवेश निरस्त माना जावेगा।

विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड Ph.D. गाईड Dr. Mohan Singh, Associate Professor & Head, Department of Anatomy, S.P. Medical College, Bikaner को आवंटित पीएच.डी. शोधार्थियों की Synopsis विश्वविद्यालय में दिनांक 11.04.2017 तक प्राप्त नही होने के कारण रिसर्च बोर्ड की बैठक दिनांक 11.04. 2017 के बिन्दु सं.–09 में लिये गये निर्णय में निम्न शोधार्थियों का पीएच.डी. पाठ्यक्रम से प्रवेश निरस्त किया गया :–

S.No.	Name	Department
1.	Aditi Bothra	Anatomy
2.	Amrita Pareek	Anatomy
3.	Keerti Bhardwaj	Anatomy
4.	Rubina Bano	Anatomy
5.	Vinayak Gour	Anatomy
6.	Ritu	Anatomy

(रिसर्च बोर्ड के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 12.04.2017 एवं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 19.04.2017 में किया जा चुका है)

Dr. Mohan Singh, Associate Professor & Head, Department of Anatomy, S.P. Medical College, Bikaner को आवंटित पीएच.डी. शोधार्थियों ने अपना अभ्यावेदन दिनांक 1.06.2017 को विश्वविद्यालय में प्राचार्य, एस.पी.मेडिकल कॉलेज द्वारा अग्रेषित पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश को नवीकरण (Renew) करने एवं भविष्य को देखते हुये गाईड परिवर्तन हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श एवं आवश्यक निर्णय हेतु प्रस्तुत है। उक्त के संबंध मे रिसर्च गाईड डॉ. मोहन सिंह ने पत्र द्वारा विश्वविद्यालय को अवगत कराया कि तकनीकी कारणों से इन शोधार्थियों की Synopsis समय पर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नही की जा सकी।

निर्णय : **उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।**

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 16 **विश्वविद्यालय के प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा सेल द्वारा सत्र 2016–17 में विभिन्न प्रवेश एवं भर्ती हेतु आयोजित विभिन्न बैठकों के कार्यवाही विवरणों के अनुमोदन के संबंध में :–**

विश्वविद्यालय के प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा सेल द्वारा सत्र 2016–17 में प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं के संबंध में दि. 04.01.2016, 12.01.2016, 29.01.2016, 12.02.2016, 16.02.2016, 13.05.2016, 17.05.2016, 31.05.2016, 04.06.2016, 20.06.2016, 25.07.2016, 30.07.2016, 16.08.2016, 26.08.2016, 18.11.2016, 22.11.2016, 28.11.2016, 10.03.2017, 15.03.2017, 18.03.2017 एवं 12.05.2017 के बैठक कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : **विश्वविद्यालय के प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा सेल द्वारा सत्र 2016–17 में विभिन्न प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं के संबंध में दि. 04.01.2016, 12.01.2016, 29.01.2016, 12.02.2016, 16.02.2016, 13.05.2016, 17.05.2016, 31.05.2016, 04.06.2016, 20.06.2016, 25.07.2016, 30.07.2016, 16.08.2016, 26.08.2016, 18.11.2016, 22.11.2016, 28.11.2016, 10.03.2017, 15.03.2017, 18.03.2017 एवं 12.05.2017 के बैठक कार्यवाही विवरणों का अनुमोदन किया गया।**

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 17 **पूल वाहन प्रभारी अधिकारी को स्टेट मोटर गैराज, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि प्रतिमाह वेतन से कटौती करते हुए विश्वविद्यालय के अनुबन्धित पूल वाहन से निवास से कार्यालय आने–जाने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु जारी कार्यालय आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में :–**

स्टेट मोटर गैराज, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 28.09.2010 एवं दिनांक 09.09.2016 के कम में विश्वविद्यालय द्वारा कार्यालय आदेश कमांक एफ. 6( )स्टोर(पूलवाहन)/राज.स्वा.वि.वि./2017–18/2295 दिनांक 10.05.2017 जारी किया जाकर विश्वविद्यालय के पूल वाहन प्रभारी अधिकारी डॉ. बलवीर सिंह राठौड (उपकुलसचिव) को राजस्थान सरकार के नियमानुसार प्रतिमाह वेतन से कटौती करते हुये विश्वविद्यालय के अनुबन्धित पूल वाहन से निवास से कार्यालय आने–जाने की वाहन सुविधा प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी उक्त कार्यालय आदेश कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **विचार–विमर्श उपरान्त उपरोक्त कार्यवाही की कार्योत्तर (Ex Post Facto) स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।**

टेबल एजेण्डा बिन्दु सं. 18 **खाद्य विश्लेषक एवं सहायक औषधि विश्लेषक भर्ती के संबंध में प्रवेश एवं परीक्षा भर्ती सैल, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर कि बैठक दिनांक 18.09.2017 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन के संबंध में :–**

प्रवेश एवं परीक्षा भर्ती परीक्षा सैल, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर कि बैठक दिनांक 18.09.2017 के बिन्दु संख्या –4 एवं 5 में खाद्य विश्लेषक एवं सहायक औषधि विश्लेषक के पदों पर भर्ती राज्य सरकार के स्तर पर किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रवेश एवं भर्ती परीक्षा सेल द्वारा लिये गये उक्त निर्णय अनुमोदन हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : **सदस्य सचिव द्वारा सदन को अवगत कराया कि कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक F.I(2)DOP/A-II/86 दिनांक 06.09.2011 द्वारा विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए भर्ती की कार्यवाही नहीं करने का उल्लेख किया गया है। अतः विचार–विमर्श पर खाद्य विश्लेषक एवं सहायक औषधि विश्लेषक भर्ती के संबंध में प्रवेश एवं परीक्षा भर्ती सैल, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर कि बैठक दिनांक 18.09.2017 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन करते हुए उक्त दोनों भर्ती परीक्षाऐं विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं कराये जाने जाने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि राज्य सरकार की अन्य कोई भी भर्ती की कार्यवाही लम्बित हो अथवा भविष्य में यदि कोई नई भर्ती हेतु निवेदन प्राप्त होता है तो विश्वविद्यालय स्तर पर कोई भर्ती की कार्यवाही नहीं करने से राज्य सरकार को पत्र लिख कर अवगत कराने का निर्णय भी लिया गया।**

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रस्तावों/बिन्दुओं पर भी चर्चा की गई एवं निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1. **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के नवीन चिकित्सालय के परिसर में महर्षि चरक की प्रतिमा की स्थापना के संबंध में:–**

   प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा नवीन निर्माणाधीन चिकित्सालय परिसर में मुख्य द्वारा के समीप महर्षि चरक की प्रतिमा स्थापित किये जाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए आवश्यक वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति उपरान्त प्रस्तावित स्थान पर महर्षि चरक की प्रतिमा स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया। चिकित्सालय परिसर में स्थापित की जाने वाली प्रतिमा के स्वरूप के संबंध में राज्य के आयुर्वेद विश्वविद्यालय से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संलग्न चिकित्सालय में आने वाले मरीजों की जांच हेतु स्वाईन फ्लू लैब की स्थापना किये जाने के संबंध में:–**

   प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय वर्तमान में स्वाईन फ्लू बिमारी का प्रकोप राज्य में बढ रहा है। इस रोग के त्वरित एवं सही जांच के अभाव में रोगियों को समय पर ईलाज नहीं मिल पाता है, अतः मरीजों के हितों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के संघटक चिकित्सालय महाविद्यालय के संलग्न चिकित्सालय में आने वाले मरीजों की जाचं हेतु स्वाईन फ्लू लैब स्थापित की जानी अति आवश्यक है। सदन को यह भी अवगत कराया गया इस संबंध में जयपुर शहर के माननीय सांसद महोदय द्वारा अपने रू. 1.00 करोड की राशि स्वाईन फ्लू लैब की स्थापन हेतु विश्वविद्यालय को प्रदान किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। विचार–विमर्श उपरान्त राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के संलग्न चिकित्सालय में आने वाले मरीजों की जांच हेतु स्वाईन फ्लू लैब की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त लैब की स्थापना हेतु सांसद महोदय से प्राप्त होने वाली राशि के अतिरिक्त राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के उपकरण कय हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि में से भी रू. 1.00 करोड की राशि उपयोग में लिये जाने की स्वीकृति प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदान की गई।

3. **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के कार्डियोलॉजी विभाग प्रारम्भ किये जाने के संबंध में:–**

   प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा सदन को अवगत कराया महाविद्यालय में निकट भविष्य में कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। प्रधानाचार्य द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि कार्डियोलॉजी विभाग प्रारम्भ करने के लिए एम.सी.आई. के नियमानुसार एक सहायक आचार्य, एक सह आचार्य एवं एक आचार्य के पदों की आवश्यकता होती है। उक्त तीनों पद राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.16 (22)एम.ई./ग्रुप–I/2012/पार्ट दिनांक 07.08.2013 से विश्वविद्यालय में पूर्व से स्वीकृत है जिनमें सहायक आचार्य के पद डॉ. सुनील जैन प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय डॉ. राजाबाबू पंवार जो कि कार्डियोलॉजी विभाग के आचार्य पद से सेवानिवृत है, को कुलपति के कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में आचार्य (कार्डियोलॉजी) के पद पर दर्शाया जा सकता है, जिससे किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार विश्वविद्यालय पर नहीं आयेगा। साथ ही सह आचार्य के पद को तत्काल अस्थाई अथवा नियमित नियुक्ति के तहत नियमानुसार भरे जाना प्रस्तावित है।

   विचार–विमर्श उपरान्त प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार आचार्य (कार्डियोलॉजी) के पद पर डॉ. राजाबाबू पंवार, माननीय कुलपति महोदय को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया। सह आचार्य (कार्डियोलॉजी) के पद को भी तत्काल/अस्थाई आधार पर या नियमित नियुक्ति कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग के द्वारा जारी परिपत्रों व निर्देशो की पालना करते हुए भरे जाने हेतु भी प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

4. **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु फैमिली मेडिसिन विषय में एक सहायक आचार्य का पद स्वीकृत कराये जाने के संबंध में :–**

प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा सदन को अवगत कराया महाविद्यालय से संलग्न राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में फैमिली मेडिसिन विषय में डी.एन.बी. पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। उक्त पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रजीडेन्ट्स को फैमिली मेडिसिन विषय से संबंधित ट्रेनिंग दिये जाने हेतु विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता है। अतः इसके दृष्टिगत राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हेतु फैमिली मेडिसिन विषय में एक सहायक आचार्य का पद स्वीकृत कराया जाना आवश्यक है। विचार–विमर्श उपरान्त प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर राज्य सरकार को फैमिली मेडिसिन विषय में सहायक आचार्य का एक पद स्वीकृत किये जाने का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सदस्य सचिव एवं
कुलसचिव